Total No. of Questions – 9] (2022)

9322

M.A. Examination

PUBLIC ADMINISTRATION (Indian Administration) Paper-VI (Semester-II)

Time : Three Hours]

[Max. Marks : {Regular : 80 Private : 100

The candidates shall limit their answers precisely within the answer-book (40 pages) issued to them and no supplementary/ continuation sheet will be issued.

परीक्षार्थी अपने उत्तरों को दी गयी उत्तर-पुस्तिका (40 पृष्ठ) तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त पृष्ठ जारी नहीं किया जाएगा।

- Note: Attempt *five* questions in all, selecting *one* question from each Unit-I to Unit-IV while Question No. 9 (Unit-V) is compulsory. All questions carry equal marks.
- नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इकाई-I से इकाई-IV में से प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न का चयन कीजिए, जबकि प्रश्न संख्या 9 (इकाई-V) अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

9322/1000/777/845



UNIT-I (इकाई-I)

- Discuss Kautilya's contribution to Indian Administration. कुटलिया के भारतीय प्रशासन को दिये योगदान की विवेचना कीजिए।
- Examine the role of Prime Minister of India.
 भारत के प्रधान-मन्त्री की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

UNIT-II (इकाई-II)

Write a critique of P.M.O.
 प्रधानमंत्री कार्यालय की समालोचना लिखें।

I

Discuss Centre-State Administrative relations.
 केन्द्र-राज्य के प्रशासनिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

UNIT-III (इकाई-III)

- Discuss the composition and role of National Development Council. राष्ट्रीय विकास परिषद् की रचना तथा भूमिका की विवेचना कीजिए।
- Examine Law and Order Problems.
 कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का परीक्षण कीजिए।

9322/1000/777/845 2

UNIT-IV (इकाई-IV)

- 7. Evaluate Right to Service Act. सेवा अधिकार अधिनियम का मूल्यांकन कोजिए।
- 8. Discuss the objectives and functions of Result Framework Document.

परिणाम ढाँचा दस्तावेज के उद्देश्य तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।

UNIT-V (इकाई-V) Compulsory Question (अनिवार्य-प्रश्न)

- 9. Answer each part in about 150 words : प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें :
 - (a) Governor.

राज्यपाल।

- (b) Centre-State Legislative relations.
 केन्द्र-राज्य विधायी संबंध।
- (c) District Planning Committee. जिला नियोजन समिती।
- (d) Transparency in Governance
 शासन में पारदर्शिता।

9322/1000/777/845

3